<u>प्रकरण संख्या 43/2018 दीपक बनाम रमेशचन्द्र</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडारदा में आराजी नंबर 453 से 458, 716/2, 717/1, 722 कुल किता 9 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है, जो वादीगण व उनके पिता दिनेशचन्द्र के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर अविभाजित है। उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्से के लिए वादीगण से पोशीदा रख प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पिता से क्रय की। उक्त विक्रय पत्र की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजियात के विशिष्ठ 1/3 भाग पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजियात के विशिष्ठ भाग पर कब्जा नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग उपभोग में दखल नहीं देवें एवं भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि उनके द्वारा 1/3 हिस्सा क्रय किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा क्रय शुदा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम अंकित करायी जावे तथा कब्जे व हिस्से का ध्यान रखकर उक्त आराजियात का पृथक पृथक विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.05.2017 से प्रकरण में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13.09.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर दिनांक 10.08.2018 को अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने उनकी अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री जारी की है, जिसकी प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.07.2018 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद [illegible] फरमायी [illegible] अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:35:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 43/2018 दीपक बनाम रमेशचन्द्र

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से विभाजन प्रस्ताव कब तैयार किया गया, किस कर्मचारी द्वारा तैयार किया गया, इसकी कोई सूचना अपीलाान्टगण को नहीं दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.09.2017 को पुनः प्रकरण दर्ज किया, जिसके नये नंबर 171/2017 में अपीलान्ट को बिना सुने अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.09.2017 अनुसार तहसीलदार राजसमन्द से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने से प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 13.09.2017 की पेशी नियत कर प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण को बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय ने सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.09.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार राजसमन्द मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर अंतिम डिक्री जारी करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:42 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
प्रभारी अधिकारी
एवं अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर